

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई)

दावा-सह-विमुक्ति प्रपत्र

(आवश्यक रूप से बीमाकृत सदस्य की मृत्यु से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाए)

नामिती द्वारा भरा जाए

(अथवा यदि नामिती अवयस्क है, तो उसके नियुक्त व्यक्ति¹, तथा यदि कोई नामांकन नहीं है या नामिती की मृत्यु बीमाकृत व्यक्ति से पहले हो जाती है, तो बीमाकृत व्यक्ति के दावेदार² विधिक उत्तराधिकारी)

भाग 1. पीएमजेबीवाई के अंतर्गत सम्मिलित मृत सदस्य का विवरण

- (1) नाम:
- (2) पता:
- (3) ग्राम/कस्बा/नगर का नाम:जिले का नाम:.....
- (4) राज्य का नाम: पिन कोड:.....
- (5) बैंक / डाक घर खाता संख्या:
- (6) मृत्यु की तारीख:
- (7) मृत्यु का कारण (दुर्घटना³, या कोई अन्य कारण: विनिर्दिष्ट करें):
- (8) मृत्यु के प्रमाण के रूप में संलग्न दस्तावेज⁴ (अथवा, यदि मृत्यु इस योजना में शामिल होने से 30 दिन के अंदर दुर्घटना के कारण हुई है, तो दुर्घटनावश मृत्यु का प्रमाण⁵):
- (9) आधार संख्या⁶ (वैकल्पिक):
- (10) आय-कर स्थायी खाता संख्या (पैन)⁶ (वैकल्पिक):

भाग 2. नामिती का विवरण:

(अथवा यदि नामिती अवयस्क है, तो उसके नियुक्त व्यक्ति¹, तथा यदि कोई नामांकन नहीं है और नामिती की मृत्यु बीमाकृत व्यक्ति से पहले हो जाती है, तो बीमाकृत व्यक्ति के दावेदार² विधिक उत्तराधिकारी)

1. नामिती का नाम:
2. नामिती की आयु:
3. यदि नामिती अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति¹ का नाम:
4. यदि कोई नामांकन नहीं है अथवा नामिती की मृत्यु बीमाकृत सदस्य से पहले हो जाती है, तो दावेदार² का नाम:
5. यदि नामिती की मृत्यु बीमाकृत सदस्य से पहले हो जाती है, तो नामिती की मृत्यु⁴ का प्रमाण:
6. मृत व्यक्ति के साथ नामिती/दावेदार का संबंध:
7. संपर्क के लिए मोबाइल संख्या:
8. संपर्क के लिए ई-मेल पता:
9. संपर्क करने के लिए पता:
10. नामिती/नियुक्त व्यक्ति/दावेदार का विवरण (जैसी स्थिति हो):
 - (1) बैंक खाते का विवरण जिसमें दावा राशि विप्रेषित की जानी चाहिए:

- (क) खाता संख्या:
- (ख) बैंक का नाम:
- (ग) शाखा का आईएफएस कोड:
- (2) आधार संख्या⁶ (वैकल्पिक):
- (3) आय-कर पैन⁶ (वैकल्पिक):
- (4) पहचान के प्रमाण के रूप में केवाईसी दस्तावेज⁷ संलग्न:

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर प्रस्तुत विवरण मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं, इस दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेज वास्तविक हैं, तथा मैंने ऊपर नामोद्दिष्ट मृत सदस्य के संबंध में पीएमजेबीवाई के अंतर्गत देय राशि का दावा पूर्व में अथवा किसी बैंक अथवा डाक घर के पास मृत सदस्य के किसी अन्य खाते के संबंध में नहीं किया है।

दिनांक:

(नामिती/नियुक्त व्यक्ति¹/दावेदार² के हस्ताक्षर)

संलग्न दस्तावेज:

- (1) बीमाकृत सदस्य की मृत्यु का प्रमाण⁴(यदि पालिसी के साथ संबद्ध होने / पुनः संबद्ध होने से 30 दिन के अंदर दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है तो उसका प्रमाण)
- (2) मृत सदस्य और नामिती / नियुक्त व्यक्ति / दावेदार की आधार संख्या और पैन संख्या⁶ (वैकल्पिक)
- (3) नामिती / नियुक्त व्यक्ति / दावेदार के संबंध में केवाईसी दस्तावेज⁷
- (4) खाते का ब्योरा दर्शानेवाली पास-बुक के प्रथम दो पृष्ठ, अथवा बैंक / डाक घर खाता विवरण, अथवा नामिती / नियुक्त व्यक्ति / दावेदार के खाते का निरस्त चेक।
- (5) नामिती की मृत्यु का प्रमाण⁴, यदि नामिती की मृत्यु बीमाकृत सदस्य से पहले हुई हो।
- (6) दावेदार का विधिक उत्तराधिकारी होने का प्रमाण, यदि दावेदार नामिती/नियुक्त व्यक्तिको छोड़कर अन्य व्यक्ति हो।
- (7) दावे के उन्मोचन (डिस्चार्ज) के लिए, विधिवत् भरी गई और हस्ताक्षरित अग्रिम रसीद।

सदस्य-सूची के डेटा अथवा बैंक/ डाक घर के डेटा से बैंक / डाक घर द्वारा भरा जाए

भाग 3: मृत बीमाकृत सदस्य के संबंध में विवरण

- 1. बैंक / डाक घर खाता संख्या (बैंक के सीबीएस/डाक घर अभिलेखों के अनुसार):
- 2. बैंक / डाक घर का नाम:
- 3. शाखा का नाम:
- 4. शाखा का आईएफएस कोड:
- 5. मृत सदस्य के पिता/ पति का नाम:
- 6. जन्म-तिथि (केवाईसी दस्तावेज के अनुसार):

7. बीमाकर्ता का नाम:
8. नामिती का नाम:
9. बैंक / डाक घर खाते से प्रीमियम के डेबिट होने की तारीख:
10. बीमाकर्ता के खाते में प्रीमियम विप्रेषित करने की तारीख:

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना पीएमजेबीवाई सदस्य-सूची डेटा और बैंक/डाक-घर अभिलेखों के अनुसार सही है।

स्थान:

दिनांक:

(बैंक/डाक घर के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

दावे के विमुक्ति हेतु अग्रिम रसीद

ऊपर संदर्भित मेरे दावे के अनुमोदन के फलस्वरूप, मैं इसके द्वारा
(बीमाकर्ता का नाम) से सदस्य श्री/सुश्री के संबंध में बीमा को
कवर करनेवाली उपर्युक्त पालिसी के अंतर्गत मेरे दावे के संपूर्ण और अंतिम भुगतान एवं उन्मोचन के रूप में
केवल दो लाख रुपये की राशि स्वीकार करता/करती हूँ।

.....

गवाह के हस्ताक्षर

गवाह का नाम:

पता:

नामिती/नियुक्त व्यक्ति/दावेदार के हस्ताक्षर

दिनांक:

बैंक / डाक घर के प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर

दिनांक:

नाम:

बैंक / डाक घर का नाम:

शाखा:

कार्यालय की मुहर:

दावेदारों के लिए उपयोगी सूचना

¹नियुक्त व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका नामोल्लेख पीएमजेजेबीवाई सदस्यता फार्म में दिवंगत सदस्य द्वारा किया गया है, जहाँ नामिती अवयस्क है।

²जहाँ कोई नामांकन नहीं है अथवा नामिती की मृत्यु बीमाकृत व्यक्ति से पहले हो गई है, वहाँ दावेदार वह व्यक्ति है जो विधिक उत्तराधिकारी है और किसी सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा विधिक उत्तराधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।

³दुर्घटना से बाह्य, हिंसक और दृश्य साधनों के द्वारा घटित कोई आकस्मिक, अप्रत्याशित और अनभिप्रेत घटना अभिप्रेत है। दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु की स्थिति को छोड़कर पालिसी के साथ संबद्ध होने/पुनः संबद्ध होने से 30 दिन के अंदर घटित होनेवाली मृत्यु की स्थिति में कोई दावा देय नहीं है।

⁴मृत्यु के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:

- (i) मृत्यु प्रमाणपत्र (स्थानीय क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया)
- (ii) मृत व्यक्ति के नाम, पिता/पति के नाम, पता तथा मृत्यु की तारीख, समय और कारण को विनिर्दिष्ट करते हुए, मृत व्यक्ति के संबंध में अस्पताल का डिस्चार्ज सारांश/प्रमाणपत्र

- (iii) मृत व्यक्ति के नाम, पिता/पति के नाम, पता तथा मृत्यु की तारीख, समय और कारण को विनिर्दिष्ट करते हुए, मृत व्यक्ति के संबंध में अंतिम परिचर्या में उपस्थित पंजीकृत चिकित्सक (भारतीय चिकित्सा परिषद के पास पंजीकृत डाक्टर) द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र, जिसपर केन्द्र अथवा राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अथवा मृत खाताधारक व्यक्ति के बैंक के किसी अधिकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक के अधिकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी बीमाकर्ता द्वारा अपनी मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- (iv) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधीश / उपायुक्त, अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार / तालूकदार आदि) के द्वारा उक्त योजना के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में निर्धारित फार्म में मृत व्यक्ति के संबंध में जारी किया गया प्रमाणपत्र

⁵दुर्घटना के कारण मृत्यु के समर्थन में दस्तावेज निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:

- (1) मृत्यु के प्रमाण के लिए ऊपर सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज, जो (क) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) अथवा पंचनामा और (ख) शवपरीक्षा (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट से युक्त हो
- (2) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधीश / उपायुक्त, अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार / तालूकदार आदि) के द्वारा उक्त योजना के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में निर्धारित फार्म में बीमाकृत सदस्य के संबंध में जारी किया गया प्रमाणपत्र
- (3) सर्पदंश / पेड़ पर से गिरने, आदि जैसी घटनाओं के कारण मृत्यु की स्थिति में मृत व्यक्ति के नाम, पिता/पति के नाम, पता तथा मृत्यु की तारीख, समय और कारण को विनिर्दिष्ट करते हुए ऊपर (क), (ख) और (ग) के बदले अस्पताल का अभिलेख।

⁶यह सूचना वांछनीय है, परंतु अनिवार्य नहीं है।

⁷नामिती / नियुक्त व्यक्ति / दावेदार की पहचान के समर्थन में दस्तावेज, आधार कार्ड अथवा मतदाता फोटो पहचान कार्ड [ईपीआईसी] अथवा मनरेगा कार्ड अथवा वाहन चालन लाइसेंस अथवा पैन कार्ड अथवा पासपोर्ट हो सकता है।